IV-3/2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES





3 DEC 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FE 149287

ट्रस्ट डीड

कीमत–5000/–

स्टाम्प–750/– रूपये

यह ट्रस्ट डीड तारीख 17.01.2020 दिन शुक्रवार को वी0एम0एस0 सर्वजन हिताय ट्रस्ट, अध्यक्ष–सुभाष कुमार पुत्र श्री खूबचन्द्र सिह निवासी पंडित नंगला, पो0 सीतापुरी, जिला मुरादाबाद व प्रबन्धक– विवेक सैनी पुत्र श्री मुन्नीलाल निवासी रामनगर मझरा, पो0 भैंसिया, तह0 व जिला मुरादाबाद द्वारा निष्पादित किया गया जिसकी धनराशि 5000/–रू0 ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से दी गयी एवं वी0एम0एस0 सर्वजन हिताय ट्रस्ट,घोषित किया। ट्रस्ट का विवरण निम्नलिखित है:–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का पता – बिलारी रोड, ग्राम शिमलाठेर, पो0 हुसैनपुर हमीर, तह0 बिलारी, जिला मुरादाबाद

1. सुभाष कुमार पुत्र श्री खूबचन्द्र सिह निवासी पंडित नंगला, पो0 सीतापुरी, जिला मुरादाबाद–अध्यक्ष
2. मुकेश पाल पुत्र श्री भूकन सिंह निवासी ग्राम शिमलाठेर पो0 हुसैनपुर हमीर तह0 बिलारी, जिला मुरादाबाद–उपाध्यक्ष
3. विवेक सैनी पुत्र श्री मुन्नीलाल निवासी रामनगर मझरा, पो0 भैंसिया, तह0 व जिला मुरादाबाद–प्रबन्धक

उददेश्य–

1. वृद्धाश्रम एवं अनाथालयों की स्थापना।
2. निर्धनों में शिक्षा का प्रचार प्रसार।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FE 149288

3. गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था।
4. गरीब मेधावी बच्चों की शिक्षा में सहायता करना।
5. ट्रस्ट का उददेश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेस नर्सिस योग शिक्षा, बी0एड0, तकनीकी शिक्षा, सामान्य शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, तथा खेलू कूद से सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण खोलना तथा युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से उन्हें शिक्षा से टाईपराइटिंग, स्टैनो, कम्प्यूटर सिलाई कढाई सौन्दर्य प्रसाधन कुकिंग, ड्रांईग, पेन्टिंग, हैण्डीक्राफ्ट आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण करने हेतु विद्यालय स्थापित करना।
6. समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च आधुनिक स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा डिस्पेन्सरी से लेकर आधुनिकतम उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अस्पतालों/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन व धर्मार्थ चिकित्सालय के माध्यम से जनसामान्य को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।
7. निःशुल्क आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर व अन्य देशी विदेशी पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना व उनका संचालन करना व कैम्प आयोजित करना। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार करना।
8. शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर उठाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, यूनानी एवं आयुर्वेदिक, होम्पयोपैथी, एलौपैथी मेडिकल कालिजो, नर्सिंग कालेजो, लॉ कालेजो, बी0एड0, एम0एड0 कालेजों, प्रबन्धन कालिजों, इंजीनियरिंग कालिजों, आई0टी0आई0 प्रौढ शिक्षा केन्द्रों निशुल्क कोचिंग



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FE 087355

उनके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान एवं हर तरह की सहायता प्राप्त कर उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना।

9. देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं उनके लिए अस्पतालों डिस्पेन्सरियों, ब्लड बैंकों, मोबाईल अस्पतालों, लैबा गम्भीर और लाइलाज बीमारियों के लिए अनुसंधान केन्द्रों एम्बुलैंसो, मेडिकल शिविरों, ब्लड डोनेशन कैम्पो, नशा मुक्ति के लिए कैम्पो, गोष्ठियों व व्याख्यानों आदि का आयोजन करना। खेलों को बढावा देने के लिए स्टेडियमों, जिमनेजियम, स्पोर्टस कालेजो, योग विद्यालयों योग प्रशिक्षण केन्द्र खेल, छात्रावासों, समस्त खेलो के टूर्नामेन्टो, हाकिंग एवं मोउन्टेरनिक कैम्प, शिविर आदि लगाकार जनता को स्वास्थ्य एवं रोजगार देने के लिए कार्य कर प्रबन्ध एवं संचालन करना।

10. गरीब विद्यार्थियों, वृद्ध असहाय स्त्रियो आदि का जीवनयापन हेतु सहायता प्रदान करना, उन्हें चिकित्सा शिक्षा आदि देकर रोजगार योग्य बनाकर नया जीवन प्रदान करना एवं उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कराने में सहायता देना एवं मार्ग दर्शन करना।

11. योग एवं आयुर्वेद अनुसंधान व शोध संस्थान, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, प्रकाशन संस्थान, संस्कृत विद्यापीठ, योग पर आधारित सी0बी0एस0ई0 पैटर्न आवासीय विद्यालय, जडी बूटी शोध संस्थान, परिवार कल्याण योजना, स्वास्थ्य कल्याण योजना, छात्रावास, नारी निकेतन, धर्मशाला, गौशाला, धर्माथे चिकित्सालय एवं महिला कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

12. प्राथमिक से उच्च शिक्षा डिग्री कालेज की स्थापना करना व स्कूल, कालेजों की स्थापना करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FE 087357

13. पिछड़ा वर्ग के बालक–बालिकाओं व बेरोजगार पुरूष–महिलाओं को ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, कम्प्यूटर, टेलरिंग, डिजाईनिंग सेन्टर खोलना एवं शिविरों की स्थापना करके उनको प्रशिक्षित करना।

14. संस्था पिछड़ा वर्ग, गरीब लड़कियों एवं महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा ब्यूटीशियन ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना व संचालन की सुविधा व्यवस्था करना। मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग की लड़की और महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का कार्य सिखा कर उन्हें प्रशिक्षित करना व उनको रोजगार उपलब्ध कराना।

15. कार्यक्षेत्र में शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालयों, संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

16. जनहित हेतु वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम, अनुसूचित छात्रावास टाईप प्रशिक्षण केन्द्रों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, लेप्रोसी प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की व्यवस्था करना। समाज के अनपढ युवा/युवतियों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था करना एवं उनका क्रियान्वयन करना।

17. शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रों में ग्रामोदय, सर्वोदय के विकास हेतु कार्य करना एवं निराश्रित महिलाओं एंव बच्चों के लिए नारी सुलभ उद्योगों वस्तुओं का उत्पादन व वितरण करना और महिला व बाल विकास हेतु कार्य करना, सामूहिक कार्य द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना।

18. शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा कुटीर–शिल्प, क्राफ्ट एवं काष्ठ कला का प्रशिक्षण देना बालक–बालिकाओं को टैक्निकल शिक्षा दिलाना एवं क्रियान्वित करने के लिए कृषि सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना। विभिन्न योजनाओं के लिए क्रियान्वित करना तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, गरीबों को मुफ्त दवाएं प्रदान करना।
पुस्तकालय, वाचनालयों तथा खेल कूद व्यायामशालाओं की स्थापना करना



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FE 087356

19. उच्चस्तरीय शिक्षा हेतु टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना करना।
20. कम्प्यूटर ए व ओ लेवल अन्य बेसिक कोर्स टैली आदि तथा हार्डवेयर व साफ्टवेयर आदि तक्नीकी प्रशिक्षण प्रदान कराना व कम्प्यूटर सेन्टर खोलना
21. विधि स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा, यू0जी0सी0,एम0सी0आई0 व बी0सी0आई0 द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठयक्रम सम्बन्धी व्यवस्था एवं संचालन
22. स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के मानविकी, विज्ञान, तकनीकी, व्यवसायिक व प्रशिक्षण प्रोग्राम संचालित करना।
23. ट्रस्टी के बाद ट्रस्टी के उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति को बेचने व खरीदने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
24. ट्रस्टी के बाद ट्रस्ट का सम्पूर्ण अधिकार ट्रस्टी के उत्तराधिकारियों का होगा।
25. ट्रस्ट को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व देश विदेश के सामाजिक व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. सुभाष कुमार पुत्र श्री खूबचन्द्र सिह निवासी पंडित नंगला, पो0 सीतापुरी, जिला मुरादाबाद–अध्यक्ष
2. मुकेश पाल पुत्र श्री भूकन सिंह निवासी ग्राम शिमलाठेर पो0 हुसैनपुर हमीर तह0 बिलारी, जिला मुरादाबाद–उपाध्यक्ष
3. विवेक सैनी पुत्र श्री मुन्नीलाल निवासी रामनगर मझरा, पो0 भैंसिया, तह0 व जिला मुरादाबाद–प्रबन्धक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 808768

तथा आवश्यकता पडने पर पुरानी कमेटी या कुछ परिवर्तन के साथ संशोधित कमेटी या बिल्कुल नयी कमेटी का गठन फाउन्डर ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा। फाउन्डर ट्रस्टीज यदि एकमत हो तो उक्त कमेटी मे फेरबदल कभी भी किया जा सकता है।

ट्रस्टी की मृत्यु के उपरान्त ट्रस्ट पर उपरोक्त ट्रस्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रबन्धक के उत्तराधिकारी/वारिस ही उसी पद पर नियुक्त होगें।

ट्रस्ट के अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

1. ट्रस्ट की सभाओं एवं अधिवेशनों की अध्यक्षता या संचालन करना।
2. ट्रस्ट के अधीन संचालित समस्त संस्थानो की समय समय पर जांच करना।
3. ट्रस्ट की संबंधित पत्रवलियों अभिलेखो पर अपने हस्ताक्षर करना।
4. ट्रस्ट द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय एकता अखण्डता, स्वास्थ्य शिक्षा, आदि समाजहित के कार्यो को करवाना।
5. ट्रस्ट की भिन्न–भिन्न आर्थिक व अन्य कार्यवाहियों में ट्रस्ट के आजीवन विशिष्ट, साधारण सदस्यों से सहयोग लेना।
6. ट्रस्ट की न्यायालय संबंधी व आयकर विभाग संबंधित कार्यवाहियों स्वयं या अपने द्वारा नामित पदाधिकारी या अधिवक्ता के माध्यम से करना।
7. ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय के स्थानान्तरण की सूचना संबंधित कार्यालयों को स्पीड पोस्ट व पंजीकृत डाक से देकर रजिस्ट्री कार्यालय मुरादाबाद में प्रस्तुत करना।
8. ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया, परिवर्तित नियम उपनियम ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी सदस्यों के साथ बैठक उसमें स्वीकृत कराकर, रजिस्ट्री कार्यालय मुरादाबाद में पंजीकृत कराना।
9. ट्रस्ट कोष की राशि को बैंक में रखकर ट्रस्ट का कार्य चलाना।
10. ट्रस्ट के नियम विरूद्ध कार्य करने वाले सदस्य को हटाकर अन्य की नियुक्ति करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 808772

11. ट्रस्ट के नियमों व शर्तो में संशोधन करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

12. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति जो उपयोग न हो उसे ट्रस्ट के हितार्थ विक्रय कर ट्रस्ट कोष में जमा करना अथवा उसके स्थान पर नई चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करना अथवा अन्य किसी सामाजिक हित में व्यय करना।

ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यो को करना।

ट्रस्ट के प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

1. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
2. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
3. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. ट्रस्ट हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
6. बैठको की सम्पूर्ण कार्यवाही को लिखना
7. पत्र व्यवहार करना।
8. ट्रस्ट के संचालन में अध्यक्ष का सहयोग करना।
9. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

श्री एम. एम. जयेन हिताय मेवा ट्रस्ट किमसा
बिल्ली

स्टाम्प क्रमांक.....
स्टाम्प संख्या.....दिनांक.....
स्टाम्प जनरल मूल्य.....
स्टाम्प वास्ते बायनामा/इकरारनामा
कुल किसी.....कुल मूल्य स्टाम्प.....
निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट हैं
मोनू सिंह स्टाम्प विक्रेता
ले० सं० 12/CM/98 कलेक्ट्रेट मुरादाबाद
09/12/19

आवेदन सं०: 202000720000885

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 3 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560





श्री सुभाष कुमार,
पुत्र श्री स्व0 खूबचन्द्र सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: पंडित नंगला पोस्ट सीतापुरी जिला मुरादाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 28/01/2020 एवं 04:10:19 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिरुद्ध कुमार यादव
उप निबंधक :बिलारी
मुरादाबाद
28/01/2020

महेश चन्द्र,
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 808771

10. ट्रस्ट के समस्त बिल वाउचरों का भुगतान करना।

11. ट्रस्ट की न्यायालय संबंधी व आयकर विभाग संबंधित कार्यवाहियों स्वयं या अपने द्वारा नामित पदाधिकारी या अधिवक्ता के माध्यम से करना।

फाउन्डर ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्ट के इंतजाम व उसके चलाने में अध्यक्ष की मददद करेगें।

2. कोई भी फाउन्डर ट्रस्टी ट्रस्ट के उददेश्यों व नियमों के विरूद्ध कोई काम नही करेगा।

3. फाउन्डर ट्रस्टियो को ट्रस्ट की मीटिंग में शिरकत करना जरूरी होगा।

4. फाउण्डर ट्रस्टीज जिस पद पर नियुक्त हैं उसके इस्तीफे अथवा स्वर्गवास के उपरान्त उसके वारिस ही उस पद पर नियुक्त होगें और ट्रस्ट के ट्रस्टी व उसके वारिस को ट्रस्ट की सम्पत्ति बेचने व खरीदने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टियों की अयोग्यता व उन्हें निकाला जाना–

1. कोई व्यक्ति जो दीवालिया घोषित हो या मानसिक रूप से स्वस्थ न हो या सजायाफ्ता हो उसे ट्रस्टी नही बनाया जा सकता।

2. जिस व्यक्ति की ट्रस्ट के उददेशयों व नियमों में दिलचस्पी न हो उसे फाउन्डर ट्रस्टी/ ट्रस्टी नही बनाया जायेगा।

बी एम. एम. सर्वजन हिताय मेवा ट्रस्ट बिलारी

बिलारी

क्र. संख्या ..... दिनांक 9/12/19

स्टाम्प जनरल मूल्य ..... रुपये

स्टाम्प वास्ते बोयनामा/इकरारनामा

मूल्य बिलों ..... कुल मूल्य स्टाम्प 50

मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट हैं

अधिकृत सिंह स्टाम्प विक्रेता

9/12/19

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिरुद्ध कुमार यादव
उप निबंधक : बिलारी
मुरादाबाद

महेश चन्द्र,
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 808770

3. यदि कोई फाउन्डर ट्रस्टी/ ट्रस्ट को छोडना चाहता है तो उसके इस्तीफे को मन्जूर करने का हक ट्रस्ट के अध्यक्ष को होगा।

4. ट्रस्ट के सदस्यों में से कोई सदस्य ट्रस्ट के उददेश्यों व नियमों के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी किय जायेगा अगर बार बार वह ऐसा करता है तो उसको ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

5. यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के उददेश्यों व नियमों के खिलाफ काम करता है या ट्रस्ट को किसी तरह से नुकसान पहुँचाता है या ट्रस्टी रहने के अयोग्य हो जाता है तो बैठक बुलाकर उस ट्रस्टी के निकालने का हक अध्यक्ष को होगा।

ट्रस्ट की मीटिंग

ट्रस्ट की मीटिंग हर तिमाही ट्रस्ट के कार्यालय में की जायेगी जिसकी तारीख की सूचना सभी ट्रस्टीयों को दी जायेगी।

ट्रस्ट का बैंक खाता

ट्रस्ट का खाता किसी राष्ट्रकृत बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक या प्राइवेट बैंक में ट्रस्ट के नाम से खुलवाया जायेगा, या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा भी बैंक खता खोला जा सकता

श्री स्टाम्प कर्ता ..... श्री एम. एन. सर्वजन हिताय सेवा ट्रस्ट शिक्षा
श्री संख्या ..... दिनांक 09/12/19
स्टाम्प जनरल मूल्य ..... रुपये
स्टाम्प वास्ते बायनामा इकरारनामा
कुल किते ..... कुल मूल्य स्टाम्प 60
निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट हैं
मोलू सिंह स्टाम्प विक्रेता
पत्र सं० 129/[illegible]
09/12/19

आवेदन सं०: 202000720000885

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 3 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री सुभाष कुमार, पुत्र श्री स्व0 खूबचन्द्र सिंह

निवासी: पंडित नंगला पोस्ट सीतापुरी जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

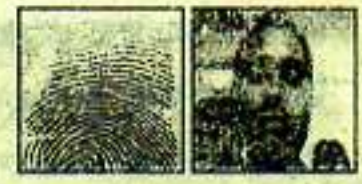

न्यासी: 2

श्री विवेक सैनी, पुत्र श्री मुन्नीलाल

निवासी: रामनगर मझरा पोस्ट भैंसिया तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मुनीष कुमार , पुत्र श्री स्व0सूरजपाल सिंह

निवासी: मौहल्ला पंडित नंगला पोस्ट सीतापुरी तहसील व जिला मुरादाबाद

मुनीष कुमार

व्यवसाय: अन्य



पहचानकर्ता : 2

श्री दिनेश प्रताप सिंह, पुत्र श्री सुन्दरलाल सिंह

निवासी: मौहल्ला मोहननगर पीतलवस्ती परिवर्तन स्कूल के सामने तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य



भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50





INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 808769

है तथा बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष, प्रबन्धक व उपाध्यक्ष में से किन्ही दो व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा।

हस्ताक्षर

सुभाष कुमार
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर

विवेक सैनी
(प्रबन्धक)

मुनीष कुमार

गवाह

गवाह

मुनीष कुमार पुत्र स्व0 श्री सूरजपाल सिंह निवासी मौ0 पंडित नंगला, पो0 सीतापुरी तह0 व जिला मुरादाबाद

दिनेश प्रताप सिंह पुत्र श्री सुन्दरलाल सिंह नि0 मौ0 मोहननगर पीतलबस्ती परिवर्तन स्कूल के सामने, तह0 व जिला मुरादाबाद

अतः यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 17.01.2020 को बमुकाम मुरादाबाद बमसौदा अजय विक्रम सिंह एडवोकेट तहरीर की गयी ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

अजय विक्रम सिंह
एडवोकेट
चै0 न0 423 ए, रजि0 3565/12
कचहरी, मुरादाबाद पो0 : 09259115863

एम. एस. सर्वजन हिताय सेवा ट्रस्ट त्रिमलाईट
विलेख

स्टाम्प क्रमांक .....
क्रमांक 36 दिनांक 09/12/19
स्टाम्प शमरल मूल्य 60 रुपये
स्टाम्प वास्ते बयनामा/इकरारनामा
मूल किसे ..... कुल मूल्य स्टाम्प 50
निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट हैं
मोनू सिंह स्टाम्प विक्रेता
ला. सं. 123/CM/99 कलेक्टेट मुरादाबाद
09/12/19

आवेदन सं०: 202000720000

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 21 के पृष्ठ 351 से 370 तक क्रमांक 3 पर दिनाँक 28/01/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिरुद्ध कुमार यादव
उपनिबंधक सिटी
मुरादाबाद
28/01/2020